बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

वेबसाईट- http://www.des.bih.nic.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कार्यालय व्यवहार हेतु स्थानीय पटना एवं पटना से बाहर राज्य के विभिन्न जिलों/प्रखण्डों में पदाधिकारियों के परिभ्रमण करने हेतु भाड़े के वाहन यथा सूमो/बोलेरो, इंडिका, इंडिगों सीएस, स्कार्पियो, इनोभा/तवेरा अथवा समकक्ष क्षमता वाले वाहन की आवश्यकता है। इच्छुक निविदादाताओं से सील बंद निविदा **दिनांक-29.11.2013** के अपराह्न **2.00** बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाएँ निविदा समिति के समक्ष उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। वैसे फर्म जिन्हें निम्नांकित शर्त्त मान्य है, निविदा में भाग ले सकते है। निविदा की शर्त्ते निम्नवत हैः-

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जायेंगे ।
   - (i) निविदादाता फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
   - (ii) पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 का आयकर रिर्टन की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
   - (iii) अग्रधन कुल 10,000/- (दस हजार) रूपये की बैंक ड्राफ्ट वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पदनाम से मूल में समर्पित किया जायेगा ।
   - (iv) इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
   - (v) निविदादाता के फर्म का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम 10 लाख रूपये का होना चाहिए।
   - (vi) वर्णित कार्यो के अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना अनिवार्य होगा ।
2. निविदादाता द्वारा 'वित्तीय निविदा' निम्न प्रकार से देनी होगीः-

(क) दैनिक

क्र०सं०	गाड़ियों का प्रकार		दैनिक 80 कि०मी० चालक, ईधन सहित दर	रात्रि विश्राम भत्ता	अतिरिक्त प्रति कि०मी० दर
1	सूमो/बोलरो	ए.सी.			
		नन ए.सी.			
2	इंडिगो सीएस	ए.सी.			
		नन ए.सी.			
3	स्कार्पियो,	ए.सी.			
		नन ए.सी.			
4	इनोभा/तवेरा	ए.सी.			
		नन ए.सी.			

(ख) मासिक (चालक, वाहन का रख-रखाव एवं ईधन सहित)

क्र०सं०	गाड़ियों का प्रकार		मासिक दर (2000 कि०मी० परिचालन सहित)	अतिरिक्त प्रति कि०मी० दर
1	सूमो/बोलरो	ए.सी.		
		नन ए.सी.		
2	इंडिका	ए.सी.		
		नन ए.सी.		

(ग) मासिक (चालक, वाहन का रख-रखाव सहित, ईधन छोड़कर)

क्र०सं०	गाड़ियों का प्रकार		मासिक दर
1	सूमो/बोलरो	ए.सी.	
		नन ए.सी.	
2	इंडिका	ए.सी.	
		नन ए.सी.	

3. तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
अन्य शर्त्ते:-

(i) निविदादाता के फर्म को आदेश दिये जाने के उपरांत गन्तव्य/निदेशित स्थान के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने के अनिवार्यता होगी ।

(ii) कार्य हेतु स्वीकृत सफल फर्म का दर एक वर्ष के लिए मान्य होगी । फर्म द्वारा कार्य अस्वीकार करने पर अग्रधन वापस नहीं किया जायेगा तथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) निविदा समिति द्वारा कार्यहित एवं सुविधा की दृष्टिकोण से स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या अधिक फर्मो को कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है ।

(iv) निविदा से संबंधित कोई भी कागजात नहीं रहने पर या अपूर्ण रहने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा ।

(v) निविदादाता द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र/अभिलेख उनके द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी ।

(vi) नियमानुसार निर्धारित 'कर' कटौती के बाद ही भुगतान किया जायेगा ।

(vii) स्वीकृत निविदादाता को शर्त्तो के अनुरूप एकरारनामा करना होगा ।

(viii) वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगा । वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं करने पर औसत दैनिक दर से दोगुनी दर की वसूली निविदादाता से की जायेगी ।

(ix) चालक के अस्वस्थ होने पर तत्काल दूसरे चालक/वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी ।

(x) वाहन में ईंधन की आपूर्ति एवं आवश्यक मरम्मति पर व्यय का वहन भी निविदादाता के द्वारा ही किया जायेगा ।

(xi) उद्धत दर सभी करों, निबंधन, चालक व्यय, प्रदूषण जाँच, बीमा, मरम्मति, टॉल ट्रैक्स एवं रखरखाव के साथ मानी जायेगी ।

3237

(xii) बिहार राज्य में वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन को ही भाड़े पर लिया जायेगा ।

(xiii) निविदादाता को अच्छी स्थिति में (Well maintained) वाहन उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी तथा 5(पाँच) साल से ज्यादा पुराना मॉडल का वाहन नहीं लिया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत सफल फर्म की दर पर निदेशालय एवं योजना एवं विकास विभाग से संबद्व सभी संस्थान यथा मूल्यांकन निदेशालय/योजना पर्षद/बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार अधियाचना की जा सकेगी।

(xv) वाहन परिचालन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या आकस्मिक दुर्घटना के लिए निदेशालय जिम्मेवार नहीं होगा ।

(xvi) प्रतिदिन की गणना हेतु शून्यकाल से रात्रि के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा।

(xvii) निविदादाता द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में अथवा उपलब्ध कराये गये खराब वाहनो की स्थिति एवं सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अग्रधन की जमा राशि को जब्त किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।

(xviii) अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदा में संशोधन/स्थगित या रद्द कर सकते है। इसके विरूद्व कोई भी दावा कहीं भी स्वीकार नहीं होगा ।

(xix) विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

18/11/13

उपेन्द्र कुमार दास
वरीय संयुक्त निदेशक

738 Sanju 12-11-13